

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
ई-5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 3431 / न.ग्रा.नि / विधि / एम-87-2

भोपाल, दिनांक 6/7/2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
समस्त जिला कार्यालय (म.प्र.)

विषय:- म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 क(1) में प्रावधानित अनुज्ञा के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन।

-0-

संचालनालय के पूर्व पत्र क्रमांक 646 / विधि / न.ग्रा.नि / एम-87 भोपाल दिनांक 18.2.13 में आंशिक संशोधन करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में धारा 30 क(1) में प्लॉट के विलयन के प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी जिला कार्यालय प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र में संचालक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में धारा 30 क(1) के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजित करता हूँ।

(गुलशन बेसरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल